न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–
डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
67/2023/प्रा.पत्र/2023	11.07.2023	16.10.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

बनाम .....प्रार्थी

1–श्री विरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री नाथूलाल जैन निवासी बडा तख्ता रघुनाथपुरी टोंक जिला टोंक विक्रेता मैसर्स श्री गणेश ट्रेडर्स नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक
2–श्रीमति उषा जैन पत्नि श्री धर्मेन्द्र जैन निवासी बडा तख्ता रघुनाथपुरी टोंक जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स श्री गणेश ट्रेडर्स नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक
3–मैसर्स श्री गणेश ट्रेडर्स नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक
4–श्रीमति ललिता पत्नि श्री कृष्ण गोपाल निवासी 4/71, विद्याधर नगर जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स जय श्री केश्यू इण्डस्ट्रीज 41 बरहा जी की गली गणगौरी बाजार जयपुर
5–मैसर्स जय श्री केश्यू इण्डस्ट्रीज 41 बरहा जी की गली गणगौरी बाजार जयपुर

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी सं. 1 स्वयं व अप्रार्थी सं. 4 की ओर से श्री जितेश पंसारी उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 16.10.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.03.2023 को समय 01:30 पीएम पर मैसर्स श्री गणेश ट्रेडर्स नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री विरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री नाथूलाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विरेन्द्र कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाकर श्रीमति उषा जैन पत्नि श्री धर्मेन्द्र जैन को उक्त फर्म का प्रोपरायटर होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ कागज के कार्टून में पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 250–250 ग्राम पैक **काजू (जय श्री ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री विरेन्द्र कुमार

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री विरेन्द्र कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **काजू (जय श्री ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर बी–201 एवं पैकिंग की दिनांक 02023 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 250–250 ग्राम के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **काजू (जय श्री ब्राण्ड)** के एक–एक पैक वाले नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3477, दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3477 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री विरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री नाथूलाल जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स जय श्री केश्यू इण्डस्ट्रीज 41 बरहा जी की गली गणगौरी बाजार जयपुर का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/647 दिनांक 17.03.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./538/एक्ट/2023/600 दिनांक 09.03.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **काजू (जय श्री ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया।

उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध धारा 46(4) के तहत समयावधि में विक्रेता श्री विरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री नाथूलाल जैन ने पुनः नमूना जांच हेतु अपील दायर की जिस पर नमूना पुनः जांच हेतु निदेश रैफरल फूड लैब मैसूर में जांच हेतु भिजवाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र कमांक एफएसएसए/2023/612 दिनांक 26.06.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं. एफटी/एक्यूसीएल/एफएसएसए (407एफ)/2023 दिनांक 12.06.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **काजू (जय श्री ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zx) व 3(1)(zf) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य हैं। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री विरेन्द्र कुमार जैन स्वयं व अप्रार्थी सं. 3 ता 4 की ओर से श्री जितेश पंसारी उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ प्रकरण का निस्तारण किया जावे। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **काजू (जय श्री ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **काजू (जय श्री ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.10.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0